स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद भी एक निर्धारित अवधि तक इस आवास को रखने के पात्र हैं।

(घ) व्यवहार्यता के अध्यधीन, स्थापना अधिकारों के बिना और मात्र आंध किराये के भुगतान पर दूरभाष सुविधा।

2. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे हर राज्य में अलग-अलग हैं और केन्द्र सरकार इस संबंध में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दुरुपयोग

2666. **श्री अजीत जोगी:**
श्री रामजीलाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996 के दौरान और वर्ष 1997 में अब तक सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आश्रय कितनी बार लिया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा 1.1.1996 से 30.11.96 तक जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों का दुरुपयोग किए जाने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अधिनियम में इसके दुरुपयोग से बचाव के लिए अन्तर्भूत सुरक्षोपाय है क्योंकि प्रत्येक निरुद्धि आदेश की जांच, उच्च न्यायालय के तीन पदासीन/सेवानिवृत न्यायाधीशों वाले एक सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाती है। आगे, निरुद्ध व्यक्ति, संबंधित राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के पास अभ्यावेदन भेज सकता है, इस अभ्यावेदन की जांच की जाती है और गुण-दोष के आधार पर इसे निपटाया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन 1.1.96 से 30.11.96 तक जारी किए गए निरुद्धि आदेशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जारी किए गए निरुद्धि आदेशों का योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	—
2.	असम	—
3.	बिहार	7
4.	गुजरात	2
5.	हरियाणा	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—
7.	कर्नाटक	—
8.	मध्य प्रदेश	88
9.	महाराष्ट्र	354
10.	मणिपुर	45
11.	मेघालय	7
12.	नागालैंड	99
13.	उड़ीसा	13
14.	पंजाब	—
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	15
17.	त्रिपुरा	—
18.	उत्तर प्रदेश	425
19.	सिक्किम	—
20.	गोवा	—
21.	मिजोरम	—
22.	अंडमान और निकोबार	—
23.	चंडीगढ़	—
24.	दिल्ली	—
	जोड़	1057